भारत सरकार

गृह मंत्रालय

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या643**

दिनांक 29.04.2015/09 वैशाख, 1937 (शक) को उत्तर के लिए

**दिल्ली विश्वविद्यालय के कैम्पस को और अधिक सुरक्षित बनाने हेतु उठाए गए कदम**

**643 श्री राज बब्बरः**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में विभिन्न कैम्पसों में और विशेषकर दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैम्पस में छात्राएं इन्हें अधिक सुरक्षित स्थान नहीं मानती है;
(ख) क्या सरकार ने इस मुद्दे के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैः और
(घ) सरकार द्वारा विश्विद्यालय कैम्पस को सुरक्षित बनाने तथा छात्राओं को महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ नए कानूनों जो वर्ष 2013 में लागू हुए, के उपबंधों से अवगत कराने के लिए कौन-से कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)**

**(क) से (घ): अब तक इस प्रकार की कोई विपरीत रिपोर्ट दिल्ली पुलिस की जानकारी में नहीं आई है। इसके अतिरिक्त, उपलब्ध आंकड़ों से ऐसे किसी विशेष अध्ययन का पता नहीं चलता हैं, जो इस मामले के संबंध में किया गया है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में छात्राओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-**

1. **दिल्ली विश्वविद्यालय के परिसरों में अपराध की रोकथाम/पता लगाने के लिए रणनीतिक स्थानों पर पुलिस पिकेट तैनात की गई हैं।**
2. **सुरक्षा और संरक्षा के उद्देश्य से दिल्ली विश्वविद्यालय के परिसरों में आपात कालीन कार्रवाई वाहन (ईआरवी) और शीघ्र कार्रवाई दल (क्यूआरटी) तैनात किए गए हैं।**
3. **विद्यार्थियों की रैंगिंग की घटनाओं को रोकने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के परिसरों में रैगिंग विरोधी विषयों पर रैगिंग विरोधी बोर्ड/बैनर प्रदर्शित कि जाते हैं।**
4. **रात्रि में छेड़-छाड़ करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने और छात्राओं के यौन-उत्पीड़न/छेड़-छाड़ आदि की रोकथाम के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के परिसरों में विभिन्न स्थानों पर रात्रिकालीन छेड़-छाड़ रोधी दलों को तैनात किया जाता है।**

5. दिल्ली विश्वविद्यालय के परिसरों में छात्राओं सहित विद्यार्थियों की सुरक्षा और संरक्षा तथा अपराधियों की निगरानी के लिए सीसीटीवी लगाए गए हैं।
6. किसी आपात स्थिति के मामले में छात्राओं को स्वयं अपनी सुरक्षा के संबंध में तैयार करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में आत्म रक्षा संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
7. छात्राओं में सुरक्षा और संरक्षा की भावना पैदा करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के परिसरों में मोबाइल/पैदल गश्त बढ़ा दी गई है।
8. दिल्ली विश्वविद्यालय के परिसरों में विभिन्न कॉलेजों/छात्रावासों में शिकायत-पेटिकाएं लगाई गई हैं।
9. उपर्युक्त के अतिरिक्त, जरूरत के समय महिलाओं की शिकायतों को सुनने के लिए दिल्ली पुलिस की 24 घंटा महिला हेल्पलाइन अर्थात् 1090 भी कार्य कर रही है।

रजिस्ट्रार, दिल्ली विश्वविद्यालय ने दिनांक 28 जून, 2014 को कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण (रोकथाम, निषेध और निराकरण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को अधिसूचित करने तथा महिलाओं पर यौन हमलों के विरुद्ध नए कानूनों, जो वर्ष 2013 में लागू हुए, के अनुपालन के लिए व्यापक प्रचार करने के उद्देश्य से कार्य स्थल पर सुरक्षित कामकाज का वातावरण सुनिश्चित करने के संबंध में सभी डीन/निदेशकों/विभागाध्यक्षों/पीआईसी/प्रभारी अधिकारियों और कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को एक अधिसूचना जारी की है।

****